

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| राजस्व अपील संख्या : 38/2023 | जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2023/206 |
| राजस्व अपील संख्या : 39/2023 | जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2023/208 |
| राजस्व अपील संख्या : 40/2023 | जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2023/210 |
| राजस्व अपील संख्या : 41/2023 | जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2023/212 |

| अपीलान्ट:- | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स:- |
|---|------|--|
| गोवर्धनसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम मण्डला, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.) हाल शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी. आई. बैंक, ग्राम पोस्ट भवाद, शाखा भवाद, तहसील बावडी, जिला जोधपुर (राज.) | | 1. विमला पत्नी भरतसिंह पुत्री स्व. भंवरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी वार्ड नं. 17, भेरुजी मन्दिर मोहल्ला खाजूवाला, पोस्ट खाजूवाला, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर 2. सरोज पत्नी भंवरलाल पुत्री स्व. भंवरसिंह जाति पुरोहित, निवासी राजीयासर, पोस्ट राजीयासर, तहसील सुरतगढ, जिला गंगानगर 3. भूमिधारी तहसीलदार सोजत जिला पाली |

“अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956”

उपस्थित :-

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।




—: निर्णय :-

दिनांक:- 5.9.2024

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत सभी अपीलों में पक्षकार समान होने एवं विषयवस्तु की प्रकृति समान होने से सभी अपील पत्रावलियों को समेकित कर निर्णय पारित किया गया। अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम मण्डला तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 427, 428, 429 तथा 430 दिनांक 23.12.2004 के विरुद्ध पेश की है। सभी अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। सभी अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन अलग अलग दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम मण्डला तहसील सोजत में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता स्व. भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह कौम पुरोहित की खसरा नम्बर 673 रकबा 0.8500 हैक्टेयर किस्म बारानी


अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

अव्वल, खसरा नम्बर 616 रकबा 0.7000 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 735 रकबा 0.7400 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम बंजड, खसरा संख्या 741 रकबा 0.7300 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम बंजड, खसरा संख्या 742 रकबा 0.4600 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम बंजड, खसरा संख्या 823 रकबा 0.6300 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 830 रकबा 0.5400 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 38 रकबा 0.8600 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि आई हुई है। अपीलाण्ट के पिता भंवरसिंह का सडक दुर्घटना में एक्सीडेण्ट हो जाने से उनका स्वर्गवास दिनांक 27.02.2003 को हो गया तथा भंवरसिंह के विधिक वारिसान अपीलाण्ट, रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 तथा उनकी पत्नी कमला देवी है। अपीलाण्ट की माता कमला देवी का स्वर्गवास भी दिनांक 08.03.2023 को हो गया है। अपीलाण्ट व रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 तद्समय नाबालिग होने से उनकी माता कमलादेवी द्वारा न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली में भंवरसिंह का दुर्घटना क्लेम संख्या 189/2003 पेश किया गया, जिसमें दिनांक 02.12.2004 को अन्तरिम एवोड राशि व दिनांक 14.12.2005 को अंतिम पंचाट जारी किया गया। अपीलाण्ट की नाबालिग अवस्था में उनके पिता भंवरसिंह ने ग्राम मण्डला पटवार हल्का मण्डला में खसरा संख्या 600 की 1.28 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 03.04.1991 के द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में खरीद की थी। अपीलाण्ट के समस्त दस्तावेज यथा लाईसेन्स, राशन कार्ड, मूल निवास, पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की अंकतालिका तथा भंवरसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र व भंवर सिंह के शोक सन्देश आदि में पिता का नाम भंवरसिंह अंकित है। साथ ही रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 03.04.1991 में अपीलाण्ट के पिता का नाम भंवरसिंह अंकित है एवं न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली द्वारा पारित आदेश में भी अपीलाण्ट को भंवरसिंह का पुत्र मानकर एवोर्ड राशि पारित की गयी थी। जिससे यह साबित होता है कि अपीलाण्ट भंवरसिंह का जायन्दा पुत्र है। अपीलाण्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद उनकी भूमि की देखरेख अपीलाण्ट की माता द्वारा ही की जाती रही थी तथा माता के स्वर्गवास पश्चात् जैर आराजी में अपीलाण्ट व रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 का नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु रेस्पोजेण्ट संख्या 3 के समक्ष आवेदन करने पर अपीलाण्ट को यह ज्ञात हुआ कि जैर आराजी में उसके पिता के देहावसान के पश्चात अपीलाण्ट बतौर वारीशान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के सम्बन्ध में भंवरसिंह के किसी भी वारिसान की ओर से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जैर नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित भंवरसिंह की वंशावली में केवल कमला (पत्नी) तथा रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 का नाम है, अपीलाण्ट का नाम वंशावली में दर्शित ही नहीं है साथ ही उक्त वंशावली में माता कमलादेवी के हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान ही नहीं है। चुकि अपीलाधीन नामान्तरकरण जब स्वीकृत हुआ था उस दौरान अपीलाण्ट तथा रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 नाबालिग थे। राजस्व अधिकारियों ने जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, न ही उनकी माता कमलादेवी से उनके विधिक वारिसान बाबत कोई साक्ष्य ली। इस प्रकार अपीलाण्ट भंवरसिंह का जायन्दा पुत्र होते हुये भी जैर नामान्तरकरण बिना किसी साक्ष्य के, विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध एक ही



[Signature]
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

दिन में स्वीकृत कर अपीलाण्ट को अपने हक अधिकारो से वंचित किया गया है, जो विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाट की जैर अपील स्वीकार कर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 427, 428, 429 तथा 430 दिनांक 23.12.2004 को खारिज करवाने का आदेश फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने वक्त बहस कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता भंवरसिंह व कानसिंह दो सगे भाई थे तथा अपीलाण्ट भंवरसिंह के भाई कानसिंह का पुत्र है। भंवरसिंह के केवल दो पुत्रीया रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ही है, अपीलाण्ट ने पुत्र बनने की कोशिश की है। भंवरसिंह के पुत्र के रूप में अपीलाण्ट के सभी दस्तावेज कूटरधित व फर्जी तरीके से तैयार किये गये है। कानसिंह द्वारा पुलिस थाना सोजत सिटी में प्रस्तुत समझौता प्रार्थना पत्र में भी अपीलाण्ट गोवर्धनसिंह को कानसिंह का पुत्र बताया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने जैर अपील में पुत्र होने के गलत कथन पेश किये है तथा अपीलाण्ट, भंवरसिंह का पुत्र है अथवा नहीं इसकी घोषणा के बिना राईट टाईटल तय नहीं किये जा सकते है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) 650, 2010 DNJ 294, RBJ(11) 2004 520, RBJ(9) 2002 580, 1995(2) RBJ 621 पेश कर जैर निगरानी को खारिज करने निवेदन किया है। जैर अपील नामान्तरकरण स्व. भंवरसिंह के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान उनकी पत्नी कमला व पुत्रीया रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में विधि व नियमानुसार जांच कर स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट, स्व. भंवरसिंह का पुत्र ही नहीं है तो उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान करने की विधिक आवश्यकता नहीं थी और न ही है। लिहाजा अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमों के परिपेक्ष में विधिनुसार स्वीकृत किया गया है अतः जैर अपील खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 2004 में दर्ज किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया तथा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस मुख्य रूप से यह उज्र किया कि अपीलाण्ट, भंवरसिंह का पुत्र न होकर उसके भाई कानसिंह का पुत्र है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट के उक्त उज्र का खण्डन करते हुये यह कथन किया कि अपीलाण्ट, भंवरसिंह का जायन्दा पुत्र है जिसकी



Lukh
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

ताईद में अधिवक्ता ने अपीलाण्ट के दस्तावेज यथा विवाह प्रमाण पत्र, कक्षा 10 तथा 12 की अंकतालिका, लाईसेन्स, परिवार राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, निर्वाचन पहचान पत्र, ईपीएफओ कार्ड, पासपोर्ट, सरस्वती शिशु सदन, पाली में कक्षा चतुर्थ प्रवेश आवेदन पत्र व विद्यालय के एस.आर. क्रमांक 341 तथा कक्षा तृतीय का प्रगति पत्र, मारवाड ग्रामीण बैंक की पास बुक प्रति, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की पास बुक प्रति, रा.उ. मा.विद्यालय मण्डला का प्रमाण-पत्र, पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 03.04.1991 की प्रति तथा भंवरसिंह का शोक सन्देश की प्रति, कमला कंवर के शोक सन्देश की प्रति पेश किये, उपरोक्त समस्त दस्तावेजों में अपीलाण्ट के पिता का नाम भंवरसिंह अंकित है। वक्त बहस अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट ने ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि अपीलाण्ट, भंवरसिंह का पुत्र नहीं है। यदि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2, अपीलाण्ट के भंवरसिंह के वारिसान होने से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को फर्जी व कुटरचित मानते हैं तो उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध में कोई एफ.आई.आर. अथवा सक्षम न्यायालय में चाराजोही की हो, ऐसे भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम-दृष्ट्या यह जाहिर होता है कि अपीलाण्ट के पिता का नाम भंवरसिंह है तथा अपीलाण्ट, भंवरसिंह के प्रथम श्रेणी का विधिक उत्तराधिकारी है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि भंवरसिंह के देहान्त के उपरान्त न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली में प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट गोवर्धनसिंह को बतौर प्रार्थी पक्षकार बनाया, जिसमें प्रार्थी संख्या 2 गोवर्धनसिंह पुत्र भंवरसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता कमलादेवी अंकित है, साथ ही पत्रावली के संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थी कमला देवी ने उक्त न्यायालय में दिनांक 21.04.2005 को यह बयान कलमबद्ध करवाया कि "मेरे एक लडका, दो लडकी है। लडका गोरधन सिंह उम्र 10 वर्ष है, जो पढता है, लडकी विमला 11 वर्ष, सरोज 8 वर्ष भी पढती है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है।" जिसमें न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली के द्वारा पारित पंचाट दिनांक 14.12.2005 के जरिये प्रार्थीगण कमला, गोवर्धनसिंह, विमला तथा सरोज के पक्ष में अर्बोर्ड राशि जारी की गयी। यदि अपीलाण्ट, भंवरसिंह का पुत्र नहीं होता तो न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली में प्रस्तुत प्रकरण में बतौर प्रार्थी पक्षकार नहीं बनता और न ही न्यायालय द्वारा उसे कोई अर्बोर्ड राशि दी जाती। साथ ही कमलादेवी ने भी अपने बयान दिनांक 21.04.2005 के द्वारा यह स्वीकार किया कि गोवर्धनसिंह उसका पुत्र है। उपरोक्त तथ्यों तथा दस्तावेजों के अवलोकन से यह सुस्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलाण्ट, भंवरसिंह का विधिक वारिसान है, जो जैर आराजी में खातेदारी हक अधिकार रखता है। यह भी उल्लेखनीय है कि भंवरसिंह ने गोवर्धनसिंह के नाम जरिये कुदरती वली रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 03.04.1991 के द्वारा मौजा मण्डला के खसरा नम्बर 600 रकबा 1 हैक्टर 28 ऐअर भूमि खरीद की थी। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में भी खरीदकर्ता का नाम गोवर्धनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति पुरोहित नाबालिग का वली भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह अंकित है, जो अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन करता है। साथ ही यह भी संदेहास्पद है कि अपीलाधीन



Lu's
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

नामान्तरकरण की पुस्त पर अंकित वंशावली पर कमला देवी का अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति का अंगुष्ठ निशान है। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह जाहिर होता है कि नजरसानी अपील में प्रथम-दृष्टया अपीलाधीन नामान्तरकरण स्व. भंवरसिंह के विधिक वारिसानों की जांच नहीं कर विधिविरुद्ध तरीके से स्वीकृत किये गये है, जिसको यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट के समस्त दस्तावेजों में पिता का नाम भंवरसिंह अंकित है तथा न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली में स्व. भंवरसिंह की पत्नी कमलादेवी के बयान दिनांक 21.04.2005 से प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि अपीलाण्ट, भंवरसिंह का विधिक उत्तराधिकारी होने से नजरसानी अपील से सम्बन्धित जैर आराजी में हक अधिकार रखता है। साथ ही अपीलाधीन नामान्तरकरण की पुस्त पर अंकित वंशावली पर कमला देवी का अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति का अंगुष्ठ निशान होना भी नजरसानी नामान्तरकरण की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम मण्डला के नामान्तरकरण संख्या 427, 428, 429 तथा 430 दिनांक 23.12.2004 को अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति पुरोहित के विधिक वारिसानों एवं दस्तावेजों/साक्ष्य की जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय पृथक-पृथक प्रतियों में सभी पत्रावलियों के संलग्न किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ सभी पत्रावलियों का अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 5/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[Signature]

(डॉ. राजेश गोयल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

[Signature]

(डॉ. राजेश गोयल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर

पाली (राज.)